राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 887/2020

श्रवण लाल रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, मुख्यालय, जयपुर।
3. शकील अहमद अंसारी, कनिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर, सांगानेर शहर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.09.2020

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

अपील संख्या :– 3001/2018

श्रवण लाल रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.08.2018

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 24.12.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर अपील संख्या 887/2020 में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध या पूर्व के वर्षों के विरूद्ध कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा वे समस्त लाभ अपीलार्थी को प्रदान किये जावें जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रदान किये गये हैं तथा समस्त एरियर पर मय 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जावे।

अपील संख्या 3001/2018 में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.07.2018 व 06.08.2018 को निरस्त किया जाकर यथावत पदस्थापित रखा जावे।

अपील संख्या 887/2020 के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दिनांक 11.05.1993 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.06.1993 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 09.06.1995 से स्थायी किया। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा पूर्व में संचालित पुस्तकालय में अपीलार्थी को पदस्थापन कर रखा था, परंतु अपीलार्थी का कैडर कंट्रोल प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास ही मौजूद था तथा अपीलार्थी की वरिष्ठता भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा ही संचालित की जा रही थी। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 04.06.2020 को अपीलार्थी की वरिष्ठता के अनुसार वर्ष 2020–21 की कनिष्ठ सहायकों की रिक्तियों की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता के आधार पर पात्रता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 2 पर अंकित है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम क्रम संख्या 3 पर है। अपीलार्थी का नाम पात्रता सूची में होने के बावजूद तथा वरिष्ठता सूची में नाम होने के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अवैध एवं अनुचित रूप से अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित किया गया तथा अपीलार्थी को वरिष्ठता में वरिष्ठ होने के बावजूद निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा अपीलार्थी की पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया

गया। अपीलार्थी को भाषा विभाग के अंतर्गत संचालित पुस्तकालय में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने पदस्थापन कर रखा था तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के कार्मिकों को समायोजन के संबंध में आज तक कोई आदेश जारी नहीं किया तथा राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 18क में यह प्रावधान है कि एक कर्मचारी के पदाधिकार को किसी पद से किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है व पदाधिकार उसकी सहमति से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि उसके फलस्वरूप उसे किसी स्थायी पद पर अपने पदाधिकारी अथवा निलंबित पदाधिकारी से वंचित होना पडे। उक्त तथ्यों के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सूची व पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद कनिष्ठ से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की, जो प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के विपरीत है तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने दिनांक 17.09.2012 को भाषा विभाग द्वारा निकाले गये आदेश दिनांक 24.02.2007 को विधि विरूद्ध मानने के निर्देश देने पर भाषा विभाग के आदेश दिनांक 17.09.2012 के आदेश के द्वारा आदेश दिनांक 24.02.2007 को वापिस प्रताडित किया तथा अपीलार्थी का लियन माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही लगातार रखा गया। इसी कारण प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रत्यर्थी विभाग में होने के कारण वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम सूचीबद्ध था, परंतु उक्त तथ्यों के बावजूद प्रत्यथी विभाग ने अपीलार्थी को कनिष्ठ से पूर्व वर्ष 2020–21 की रिक्तियों से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की तथा वे समस्त लाभ प्रदान नहीं किये जो अपीलार्थी से कनिष्ठ को प्रदान किये गये हैं, जो राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध या पूर्व के वर्षों के विरूद्ध कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा वे समस्त लाभ अपीलार्थी को प्रदान किये जावें जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रदान किये गये हैं। तथा समस्त एरियर पर मय 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि राज्य सरकार द्वारा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को एक विभाग बनाये जाने के उपरांत पुस्तकालयों तथा इसके प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत सभी कार्मिकों से भाषा एवं पुस्तकालय विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा विभाग में से किसी एक विभाग में सेवायें देने का विकल्प चाहा था, जिन कार्मिकों ने भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में अपनी सेवायें देने का विकल्प पत्र प्रस्तुत किया, दिनांक 24.02.2007 के आदेश द्वारा उन सभी कार्मिकों की सेवायें भाषा विभाग द्वारा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में अधिकृत की गई। अपीलार्थी ने भी अपनी सेवायें देने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किया था। इसलिये अपीलार्थी की वरिष्ठता माध्यमिक शिक्षा विभाग में नहीं जोडी जा सकती है तथा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र दिनांक 06.02.2005 के अनुसार वरिष्ठता का लाभ भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में ही दिया जा सकता है। इसलिये अपीलार्थी का नाम वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश दिनांक 11.05.1993 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.06.1993 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 09.06.1995 से स्थायी किया। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा पूर्व में संचालित पुस्तकालय में अपीलार्थी को पदस्थापन कर रखा था, परंतु अपीलार्थी का कैडर कंट्रोल प्रत्यर्थी संख्या 2 (माध्यमिक शिक्षा) के पास ही मौजूद था तथा अपीलार्थी की वरिष्ठता भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा ही संचालित की जा रही थी। प्रदर्श–4 के अनुसार शासन उप सचिव भाषा एवं पुस्तकालय विभाग ने पुस्तकालय एवं भाषा विभाग के संबंध में पुस्तकालयों में पुस्तकालय संवर्ग के पद ही सृजित किये थे तथा शिक्षा विभाग के शेष मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक ही संवर्ग होगा जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत रहने के आदेश जारी किये गये थे। प्रदर्श–5 अ.शा.पंत्राक उनि/सशि/पुस्तक प्रकोष्ठ/एफ.68/06–07/64 दिनांक 19.12.2008 में स्पष्ट प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.09.2002 में यह स्पष्ट आदेश प्रदान किये गये हैं कि

जब पुस्तकालयाध्यक्ष का अलग संवर्ग स्थापित नहीं हो जाता तब तक समस्त नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास रहेगा। संवर्ग अलग से स्थापित करने में राज्य सरकार की प्रस्तावनानुसार राज्यपाल महोदय ही सक्षम है। भाषा विभाग अलग से संवर्ग बनाने में या प्रस्ताव बनाने में सक्षम नहीं है तथा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि इस भाषा विभाग के द्वारा अपने विभाग की पंजिकाओं में किसी प्रकार के आदेश सहमति देने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा द्वारा उन आदेशों की पालना करना आवश्यक नहीं है क्योंकि सक्षम नियंत्रण अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक है और भाषा विभाग एक अलग विभाग है, राज्य सरकार नहीं है। अतः भाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों की पालना करवाना या अधीनस्थ कार्यालयों से करवाना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ने दिनांक 22.12.2009 को प्रदर्श–6 परिपत्र जारी करते हुये यह स्पष्ट निर्देश दिये कि भाषा विभाग के अधिग्रहण आदेश दिनांक 23.02.2007 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर ने अपने आदेश क्रमांक 64 दिनांक 19.12.2008 के द्वारा विवादित मानते हुये इस पर कार्यवाही नहीं किये जाने का उल्लेख किया है तथा यह भी निर्देश दिये गये सार्वजनिक पुस्तकालयों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों के हित व लाभ को ध्यान में रखते हुये समस्त उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को तत्काल निर्देशित करना उचित होगा कि इन कार्मिकों का लियन एवं वरिष्ठता माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन मानते हुये इन्हें डीपीसी में शामिल कर पदोन्नति संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही करें। उक्त तथ्यों के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेशों से पूर्व भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा अपीलार्थी से लिये गये विकल्प पत्र दिनांक 06.02.2005 जिसको प्रत्यर्थी विभाग ने ही अमान्य घोषित कर दिया, उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2020 तक अपीलार्थी की वरिष्ठता माध्यमिक शिक्षा विभाग में होने के बावजूद वर्ष 2020–21 की पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम होने के बावजूद अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं की गई तथा वे समस्त लाभ प्रदान नहीं किये गये जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रदान किये गये हैं तथा अपीलार्थी के समान प्रकरण पर संयुक्त शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा ने दिनांक 11.07.2016 को प्रदर्श–7 के माध्यम से ज्योत्सना राजावत जो भाषा विभाग में ही कार्यरत थी को विभाग के परिपत्रों के अनुसार लियन माध्यमिक शिक्षा में मानते हुये पदोन्नति प्रदान की गई है तथा अपीलार्थी को समान लाभ प्रदान नहीं किया गया

है। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य स्वयं के आदेशों के विपरीत होने के कारण विरोधाभासी है। नियमानुसार किसी भी कार्मिक का दूसरे विभाग में समायोजन राज्य सरकार द्वारा अधिशेष घोषित करने पर या जिस विभाग में कार्यरत है, उसके विभागाध्यक्ष द्वारा दूसरे विभाग में जाने की सहमति देने पर तथा कार्मिक की सहमति होने पर ही दूसरे विभाग में समायोजन किया जा सकता है। अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2005 में जो विकल्प पत्र दिया गया था उसे स्वयं निदेशक महोदय ने ही अवैध एवं अनुचित मानने के निर्देश जारी किये थे, उसके पश्चात् अपीलार्थी ने कभी भी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में समायोजन हेतु कोई सहमति पत्र प्रदान नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य राजस्थान सेवा नियम, 1951 तथा राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1971 के प्रावधानों के विपरीत है तथा विभाग के निर्देशों के विपरीत है। अपीलार्थी शिक्षा विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त हुआ है और इस प्रकार अपीलार्थी का नियोक्ता अधिकारी शिक्षा विभाग ही है। शिक्षा विभाग नियोक्ता अधिकारी होने के अनुसार ही शिक्षा विभाग में अपीलार्थी की वरिष्ठता समय–समय पर जारी होती रही, परंतु अपीलार्थी को भाषा विभाग में कार्यरत होने के कारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति से वंचित रहना पडा और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया जो सेवा नियमों के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। परंतु भाषा विभाग में कार्यरत होने के कारण अपीलार्थी को शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकी तथा अपील संख्या 3001/2018 में अपीलार्थी का लियन भाषा विभाग में नहीं होने के बावजूद भाषा विभाग ने विधि विरूद्ध जाकर आदेश दिनांक 10.07.2018 एवं 06.08.2018 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये पदस्थापन किया गया, जो सेवा नियमों के विपरीत है। भाषा विभाग को अपीलार्थी की पदोन्नति करने के संबंध में अधिकार नहीं है। अपीलार्थी की पदोन्नति करने का अधिकार माध्यमिक शिक्षा के पास है। निदेशक भाषा विभाग ने विधि विरूद्ध जाकर अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति आदेश दिनांक 10.07.2018 (प्रदर्श–9) एवं 06.08.2018 (प्रदर्श–10) निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 10.07.2018 (प्रदर्श–9) एवं 06.08.2018 (प्रदर्श–10) को निरस्त किया जाता है तथा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की जावे तथा वे समस्त नकद लाभ अपीलार्थी को प्रदान किये जावें जिस दिनांक से निजी प्रत्यर्थी को प्रदान किये गये हैं तथा उक्तानुसार अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभों का भुगतान मय एरियर दो माह में किया जावे।

अधिकरण द्वारा अपील संख्या 887/2020 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.09.2020 की एवं अपील संख्या 3001/2018 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2018 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 887/2020 (श्रवण लाल रैगर) में रखा जाकर, के साथ अपील संख्या 3001/2018 (श्रवण लाल रैगर) टैग की जाती है एवं आदेश की छाया प्रति अपील संख्या 3001/2018 (श्रवण लाल रैगर) में रखी जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य